



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



30 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 289 राँची, सोमवार,

20 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

27 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-38/2019-21284 (HRMS)—मो० जहुर आलम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-299/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2292 दिनांक-16.10.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में मो० आलम के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- प्रखण्ड कार्यालय, प्रतापपुर के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान मो० जहुर आलम ने श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम एवं समायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लक्षित समूह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। मो० आलम के इस कृत्य से सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। मो० आलम का यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(3) के प्रतिकूल है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1083, दिनांक 10.02.2020 द्वारा मो० आलम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में मो० आलम के पत्र, दिनांक 19.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० आलम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2804, दिनांक 11.06.2020 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गयी। मो० आलम के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-64/स्था०, दिनांक 24.02.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

3. मो० आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-20950(HRMS), दिनांक 11.05.2023 द्वारा मो० आलम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है ।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-226, दिनांक 14.09.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि मो० आलम के विरुद्ध गठित विभागीय आरोप तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं होता है। जाँच पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि आरोपी पदाधिकारी अपने परीक्ष्यमान अवधि में एक साथ 05 पदों के प्रभार में थे। इस कारण उनकी दैनिक कार्यों की व्यस्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है। संबंधित सहायक/प्रधान सहायक का यह दायित्व है कि अग्रिम समायोजन हेतु इसकी जानकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी को दें एवं इसके समायोजन हेतु संचिका नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जाना चाहिए था। परन्तु कार्यालय स्तर पर इस संबंध में कार्रवाई नहीं की गई है ।

5. मो० आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत निम्न कारणों से विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं है ।

(i) मो० आलम द्वारा बचाव बयान में उल्लेख है कि उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-136, दिनांक 29.04.2010 द्वारा श्री श्यामल कुमार आयकत द्वारा लिये गये अग्रिम राशि 2155400/- रुपये वसूली के लिए प्राप्त पत्र के अनुपालन में इनके द्वारा कार्यालय के पत्रांक-676, दिनांक 02.09.2011 के द्वारा 1081200/- रुपये की वसूली की गयी है। शेष राशि 1074200/- के समायोजन हेतु श्री श्यामल कुमार आयकत निलंबित पंचायत सचिव द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से राशि जमा करने हेतु एक माह का समय लिया गया था। स्पष्ट है कि मामला इनके पूर्ण संज्ञान में था, इसके पश्चात् भी इनके द्वारा पूर्ण राशि की वसूली हेतु प्रयास नहीं की गई।

(ii) मो० जहुर आलम का उक्त पद पर कार्यकाल लगभग 02 वर्ष 08 माह का था, परन्तु असमयोजित अवशेष राशि 1074200/- रुपये की वापसी/वसूली हेतु कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गयी है ।

(iii) उक्त राशि की वसूली हेतु दोषी श्री आयकत, पंचायत सचिव के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद भी दायर नहीं किया गया है ।

6. अतः विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असमहत होते हुए मो० आलम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा प्रस्तावित दण्ड विभागीय पत्रांक-7140, दिनांक 20.12.2023 द्वारा मो० आलम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में मो० आलम के पत्र, दिनांक 05.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर था उस समय श्री श्यामल कुमार आयकत निलंबित थे और उनका मुख्यालय अनुमण्डल कार्यालय, चतरा बनाया गया था। निलंबन अवधि में सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता उनके पदस्थापन कार्यालय से देय होता था।

(ii) उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-136/सा०सु०, दिनांक-29.04.2010 द्वारा श्री श्यामल कुमार आयकत द्वारा लिये गये अग्रिम राशि 2155400.00 (एक्कीस लाख पचपन हजार चार सौ) रु० वसूली के लिए प्राप्त पत्र के अनुपालन में उनके द्वारा अर्थात् तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पत्रांक-676/वि०, दिनांक-02.09.2011 के द्वारा 1081200 (दस लाख इक्कासी हजार दो सौ) रु० वसूली की गई। शेष राशि 1074200 (दस लाख चौहत्तर हजार दो सौ) रु० के समायोजन हेतु श्री श्यामल कुमार आयकत, निलंबित पंचायत सचिव द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से राशि जमा करने हेतु एक माह का समय लिया था।

(iii) अपने परिवीक्षा अवधि में ही एक साथ पांच पद का प्रभार रहने के कारण उनकी व्यस्तता काफी बढ़ गई थी। उनके द्वारा जानबूझ कर इस संबंध में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। प्रशिक्षण के उपरांत परिवीक्षाधीन पदाधिकारी के रूप में दिनांक-04.05.2011 को अंचल अधिकारी, प्रतापपुर-सह-अंचल अधिकारी, कुण्डा के रूप में अपना प्रथम योगदान दिया। दिनांक-24.05.2011 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुंडा एवं बाल विकास परियोजना, प्रतापपुर का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किया। साथ ही, दिनांक-11.07.2011 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया था। साथ ही उपरोक्त पदों का कर्तव्य निर्वहन उनके द्वारा भलीभांति की गई है। समय समय पर विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में कोई लापरवाही नहीं की गई।

(iv) स्थापना लिपिक एवं प्रधान लिपिक द्वारा ससमय उक्त मामले को उनके संज्ञान में लाते तो निश्चित रूप से इस संबंध में इनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती। स्थापना लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सेवानिवृत्त पंचायत सेवक के मिलीभगत के कारण संबंधित अभिलेख/संचिका एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा निर्गत कई पत्रों को इनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. मो० आलम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समीक्षा में उठाये गये तथ्यों/बिन्दुओं के संबंध में किसी प्रकार का नया तथ्य अपने द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित नहीं किया गया बल्कि पूर्व में समर्पित तथ्यों को इनके द्वारा रखा गया है।

8. अतः समीक्षोपरांत, मो० जहुर आलम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-299/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० जहुर आलम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD ZAHUR ALAM 110061165720	मो० जहुर आलम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-299/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
